

72

74



प्रा/निगरानी/सिंगरौली/भू-राज/२०१७/२१७१

न्यायालय:- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्र.क. /2017 निगरानी

बन्धुराम पुत्र हुब्बलाल कुम्हार
निवासी ग्राम करुआरी तहसील व जिला
सिंगरौली म.प्र.

--- आवेदक

श्री S.P. Mhalad
द्वारा आज दि 28.08.17 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

बनाम

म.प्र. शासन द्वारा अपर कलेक्टर जिला
सिंगरौली

--- अनावेदक

28.8.17

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959
न्यायालय अपर कलेक्टर महो. जिला सिंगरौली के प्र.क.
51/स्व.निग./1998-99 में पारित आदेश दिनांक 27.02.1999
के विरुद्ध जानकारी दिनांक से निगरानी अवधि अन्दर प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार पेश है :-

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य:-

1. यह कि, प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि, भूमि सर्वे क्र. 5/1, रकवा 0.25 एकड़ , 6/4 रकवा 4.75 एकड़ भूमि के संबंध में आवेदक निवासी ग्राम करुआरी तहसील व जिला सिंगरौली का कब्जा होने से कब्जे के आधार पर एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार सिंगरौली के समक्ष


73

कल्याण/शासन

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रपत्र

प्रकरण क्रमांक III/निज. सिंगरेली/भूरा. 2017/297

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारी एवं अभिभावकों के हस्ताक्षर
06/2/19	<p>इस प्रकरण में दिनांकको उभय पक्ष अधिवक्ता के तर्क सुने जाकर प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था। प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी अपर कलेक्टर जि. सिंगरेली के प्रकरण क्रमांक <u>511/संगरेली/1998-99</u> में पारित आदेश दिनांक <u>27-02-1999</u> के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है । म0प्र0 भू0राजस्व संहिता में दिनांक 25/09/2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54 (ए) के अंतर्गत इस न्यायालय को सुनवाई किये जाने तथा आदेश पारित किये जाने की अधिकारिता नहीं है । अतः नवीन संशोधन के अनुसार सुनवाई हेतु यह प्रकरण आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक <u>22/4/2019</u> को रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p style="text-align: right;">आयुक्त</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

~~Handwritten mark~~